

प्रकरण क्रमांक WO 526322

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 256 / विउशिनिफो / इंदौर / 22

प्रकरण क्रमांक WO 526322

विषय :- माह मई 2022 के बिल विषयक।

श्रीमति ललिता नवीन मानसिंगका,
ई-602, इलाईट अनमोल, स्कीम नं.140 के पीछे,
पिपल्याहाना चौराहा,
इंदौर (म.प्र.)

-----परिवादी

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व षहर) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.इंदौर -----उत्तरदाता
आदे"1

(आज दिनांक 26.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी स्वयं उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री कपिल गुप्ता सहायक यंत्री
उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी का श्री फेज 4.0 किलो वॉट क्षमता का घरेलू विद्युत कनेक्शन क्र. 3223308-GNZ97-16-N3378010373 है, जो कि किराये के फ्लेट में स्थित होकर मीटर अलग से नीचे लगा हुआ है, का बिल विभाग द्वारा रु. 29400/- का दिया गया है जबकि फ्लेट में ताला लगा हुआ था एवं परिवार पुत्रि के विवाह हेतु 12 माह नेल्लेर आंध्रप्रदेश में रह रहा था तथा 1.03.2022 को इंदौर अपने निवास पर आया। बाहर रहने के कारण मीटर रीडर को सूचना नहीं दी जा सकी। और दि. 06.05.2022 को विभाग द्वारा मीटर चैक करके, मीटर खराब होने का उल्लेख करते हुए, पंचनामा बनाकर अधिक बिल दिया गया है। मीटर बंद होने के बावजूद 'गुन्य रिडिंग दिखाने पर भी मनगढ़ंत गणना कर, रु.29400 /- का बिल दिया गया है। इस संबंध में विभाग को आवेदन भी दिया गया किंतु बिल की राशि कम नहीं की गई। निवेदन है कि माह मार्च 2022 के हिसाब से बिल दिया जावे एवं तीन माह की राशि समायोजित की जावे।

प्रकरण क्रमांक WO 526322

परिवादी ने परिवाद के साथ संबंधित विपक्ष अधिकारी—प्रभारी,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि. तिलकनगर झोन इंदौर को प्रेषित आवेदन पत्र दि.17.05.2022, राशि रु. 15000/- दि. 18.05.2022 के ऑन लाईन पेमेंट की रसीद, मैरिज सर्टिफिकेट दि. 06.08.2022, विवाह निमंत्रण कार्ड—तमिल भाषा अंकित, मासिक विद्युत बिल माह अप्रैल 2022 एवं माह अगस्त 2022 की छाया प्रतियां संलग्न की है।

2. विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के संदर्भ में परिवादी ने पुनः यही लिखित तर्क प्रस्तुत कि वह बेटी की विवाह हेतु 12 माह बाहर रहने के कारण विद्युत खपत नहीं हुई है तथा मीटर खराब होने की सूचना उन्हें नहीं दी गई है, और इस दौरान विभाग द्वारा मीटर की नियमित रिडिंग लेकर 0 युनिट का बिल जारी किया जाता रहा है, अतः कंपनी कर्मचारियों की त्रुटि की सजा परिवादी को नहीं दी जावे। पंचनामा बनाकर, दि. 06.05.2022 को जो नया मीटर लगाया गया है, की खपत के आधार पर, बिल संशोधित कर, अधिभार हटाते हुए जारी करने की कृपा करें।

विपक्ष का कथन :-

परिवादी श्रीमति ललिता नवीन मानसिंगका, ई-602, इलाईट अनमोल, स्कीम नं.140 के पीछे, पिपल्याहाना चौराहा, इंदौर (म.प्र.) के घरेलू विद्युत कनेक्शन क्र. एन 3378010373 का दि. 06.05.2021 को मीटर निरीक्षण करने पर, स्थापित मीटर मेक एलिमर रिडिंग 14527 केडब्लूएच पर बंद पाया गया एवं सम्बद्ध भार 7.4 किलोवॉट पाये जाने पर, तदानुसार पंचनामा क्र. 6073/20 दि. 06.05.2021 को बनाकर, संयोजित भार अनुसार 3442 युनिट खपत आंकलित कर, 12 माह के लिए गणना कर, देयक रु. 29400/- जारी किया गया जिसकी शोट संलग्न है।

परिवादी के माह मार्च 2021 से माह मार्च 2022 तक बाहर रहने संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर, खपत का पुनर्वालोकर कर यह पाया गया कि मीटर खराब होने के कारण माह अप्रैल 2018 से सही खपत का बिल जारी नहीं हुआ है।

विधिक प्रावधान:-**मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 :-**

जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता है, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार को वसलो हट, देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तयार किया जाएगा

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध है तो उक्त वाचन (तमकपदह) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक WO 526322

(ब) ऐसे प्रकरण म जहा मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हा तथा जाच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हा या त्रुटिपूर्ण पाया गया हा तो प्रदाय को गई विद्युत मात्रा का निधारण पूव तोन मापयन्त्र चक्रों क आधार पर किय गये मापयन्त्र वाचन क मासिक औसत क आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र सयाजन तिथि से तोन माह क भोतर त्रुटिपूर्ण हाना पाया जाता हा तो विद्युत को मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तोन मापयंत्र वाचन-चक्रा को औसत मासिक खपत क आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध क अन्तर्गत किया जा सकगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारो क मतानुसार प्रजाधीन माह क अन्तर्गत उपभाक्ता को स्थापना क अन्तर्गत एसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारो क साथ-साथ उपभाक्ता क लिये भी अन्यायपूर्ण थो, उक्त अवधि क दौरान पदाय को गई विद्युत को मात्रा का निधारण, अति [उच्चदाब/उच्चदाब](#) प्रकरण म अनुज्ञप्तिधारी क स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभाक्ता क प्रकरण म वितरण कन्द्र क प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभाक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हा तो अति [उच्चदाब/उच्चदाब](#) उपभाक्ताआ क प्रकरण म वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभाक्ता क प्रकरण म उपसंभाग क प्रभारी अधिकारी का अपनो अपील प्रस्तुत कर सकगे जिनका निणय इस सबध म अन्तिम हागा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन क अभाव म उपभाक्ता को पिछल तोन मापयन्त्र वाचन चक्रा क औसत मासिक आधार पर अनन्तिम दयक (provisional bill) जारी कर सकगा जो बाद म किसी अनुवर्ता तिथि को पनरोक्षण क अध्यधीन हागा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

परिवादी ने माह मई 2022 में बिल राँी रु. 29400/- के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करवाई है। विपक्ष ने कथन में बताया है कि दि.06.05.2021 को मीटर का निरीक्षण करने पर बंद होने पर पंचनामा क्र. 6073/20 बनाकर, संयोजित भार अनुसार युनिट आंकलित कर, 12 माहों के लिए गणना कर, देयक राँी रु. 29400/- का जारी किया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी का मीटर, निरीक्षण दि. 06.05.2021 को रीडिंग 14527 पर बंद पाया गया एवं संयोजित भार 7455 वॉट पाया गया है। विपक्ष द्वारा परिवादी के परिसर में संयोजित विद्युत भार के आधार पर आंकलित युनिट 3442 खपत निर्धारित कर, 12 माहों का राँी रु.29400/- का बिल जारी किया गया है। जो कि विधिक प्रावधान 8.35 के अनुसार गणना करके, बिलिंग नहीं किया जाना पाये जाने के

प्रकरण क्रमांक WO 526322

कारण, राशि रु. 29400/- को निरस्त किया जाना चाहिये। इसके स्थान पर म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के अनुसार माह मार्च 2019, अप्रैल 2019 एवं माह मई 2019 की औसत खपत के अनुसार, मीटर बंद रहने की अवधि माह जून 2019 से माह मई 2022 तक के देयकों को संशोधित करके जारी किया जाना चाहिये एवं फोरम के आदेश के पालन होने तक का तत्संबंधी अधिभार भी हटाया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार, परिवादी का मीटर, निरीक्षण दि. 06.05.2021 को रीडिंग 14527 पर बंद पाया गया एवं संयोजित भार 7455 वॉट पाया गया है। विपक्ष द्वारा परिवादी के परिसर में संयोजित विद्युत भार के आधार पर आंकलित युनिट 3442 खपत निर्धारित कर, 12 माहों का राशि रु.29400/- का बिल जारी किया गया है। जो कि विधिक प्रावधान 8.35 के अनुसार गणना करके, बिलिंग नहीं किया जाना पाये जाने के कारण, राशि रु. 29400/- को निरस्त किया जाता है। इसके स्थान पर म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के अनुसार माह मार्च 2019, अप्रैल 2019 एवं माह मई 2019 की औसत खपत के अनुसार, मीटर बंद रहने की अवधि माह जून 2019 से माह मई 2022 तक के देयकों को संशोधित करके जारी किया जावे एवं फोरम के आदेश के पालन होने तक का तत्संबंधी अधिभार भी हटाया जावे।

03/ म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्याय 3 की कंडिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेश का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्ठर),

सदस्य

अध्यक्ष

(एन.एस.मंडलोई),

सदस्य

(व्ही.के.गोयल)